: आदेश :

उत्तराखण्ड शासन औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या–469/VII-A-1/2023/09(05)/2023 दिनांक 22 मार्च, 2023 के द्वारा मा0 उच्च न्यायालय उत्तराखण्ड नैनीताल में योजित जनहित याचिका संख्या–17/पी0आ0ई0एल0/2023 रमेश लाल / रमेश कम्बोज बनाम उत्तराखण्ड राज्य एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 16.03.2023 के अनुपालन में राज्य के प्रत्येक जनपद में अवैध खनन पर प्रभावी नियन्त्रण एवं रोकथाम हेतु जिला अवैध खनन निरोधक दल (District Anti Illegal Mining Force) का निम्नवत जिला/तहसील स्तर पर गठन किया जाता है:–

जिला स्तरः–

1. जिलाधिकारी बागेश्वर	–	अध्यक्ष
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक	–	सदस्य
3. नोडल प्रभागीय वनाधिकारी	–	सदस्य
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6. श्री किशन सिंह मलड़ा (वृक्ष प्रेमी)	–	सदस्य

तहसील स्तरः–

1. सम्बन्धित उप जिलाधिकारी	–	अध्यक्ष,
2. सम्बन्धित पुलिस उपाधीक्षक	–	सदस्य
3. सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी (रैन्जर)	–	सदस्य
4. जिला खान अधिकारी	–	सदस्य
5. सम्भागीय परिवहन अधिकारी	–	सदस्य
6. सम्बन्धित खनन क्षेत्र के ग्राम प्रधान	–	सदस्य

उक्त अवैध खनन निरोधक दल (Anti Illegal Mining Force) अवैध खनन पर प्रभावी नियंत्रण एवं रोकथाम की कार्यवाही कर कृत कार्यवाही से मसय–समय पर अधोहस्ताक्षरी को अवगत करना सुनिश्चित करेंगें।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

कार्यालय जिलाधिकारी बागेश्वर

संख्या– 562 /तीस–खनन/2023 दिनांक 25 मार्च, 2023

प्रतिलिपिः– निम्नांकितों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषितः–

1– सचिव, औद्योगिक विकास (खनन) अनुभाग–1, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2– पुलिस अधीक्षक, बागेश्वर।
3– उपजिलाधिकारी, बागेश्वर/कपकोट/काण्डा/गरूड़।
4– सम्बन्धित सहायक वनाधिकारी (रैन्जर), बागेश्वर।
5– जिला खान अधिकारी, बागेश्वर।
6– सम्भागीय परिवहन अधिकारी बागेश्वर।
7– उपरोक्त समिति के सभी नामित सदस्यगण।

(अनुराधा पाल)
जिलाधिकारी, बागेश्वर।

Generated by CamScanner